



कृषि विभाग उद्यान निदेशालय (राज्य बागवानी मिशन)



बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना द्वारा राज्य में उद्यानिक फसलों के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषकों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है।

योजनाओं के प्रत्येक घटक के अनुमानित इकाई लागत पर 50% तक सरकारी अनुदान देय है। घटकवार इकाई लागत एवं देय अनुदान निम्न प्रकार है :-



क्र० सं०	घटक का नाम	अनुमानित इकाई लागत (लाख रुपये में)	प्रति इकाई देय अनुदान (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1	सब्जी एवं मसाले का बीज उत्पादन	0.35/हे०	0.175/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
2	आम, अमरुद, लीची एवं आँवला के सघन बागवानी	1.00/हे०	0.40/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान तीन किस्तों, 60:20:20 के अनुपात में देय)
3	आम, अमरुद, लीची एवं आँवला की सघन बागवानी (ड्रिप के साथ)	1.50/हे०	0.75/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान तीन किस्तों, 60:20:20 के अनुपात में देय)
4	अमरुद का अति सघन बागवानी (मिडो बागवानी) (ड्रिप के साथ)	2.00/हे०	1.00/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान तीन किस्तों, 60:20:20 के अनुपात में देय)
5	टिशू कल्चर केला की खेती (ड्रिप के साथ)	3.00/हे०	1.50/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान दो किस्तों, 75:25 के अनुपात में देय)
6	टिशू कल्चर केला की खेती (ड्रिप के साथ)	1.25/हे०	0.625/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान दो किस्तों, 75:25 के अनुपात में देय)
7	अनानास की खेती	0.875/हे०	0.4375/हे०	किशनगंज एवं अररिया जिला हेतु। अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान दो किस्तों, 75:25 के अनुपात में देय)
8	पान की खेती (200 वर्ग मी०)	0.30/बरेजा	0.150/हे०	अनुदान दो किस्तों, 75:25 के अनुपात में देय
9	पपीता की खेती	0.60/हे०	0.300/हे०	अनुदान दो किस्तों, 75:25 के अनुपात में देय
10	पुष्प की खेती			
(क)	कटे पुष्प	1.00/हे०	0.40/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
(ख)	कन्द वाले पुष्प	1.50/हे०	0.60/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
(ग)	खुले पुष्प	0.40/हे०	0.20/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
11	मसाले की खेती	0.30/हे०	0.15/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
12	सगंध पौधे (मैथा, तुलसी, लेमनग्रास, पामारोजा) की खेती	0.40/हे०	0.20/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
13	पुराने बागों का जीर्णोद्धार	0.40/हे०	0.20/हे०	अधिकतम 2.0 हे० प्रति लाभुक
14	मखाना की खेती (तालाब में)	0.268/हे०	0.134/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
15	मखाना की खेती (खेत में)	0.3204/हे०	0.1602/हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक
16	विद्युत चालित मखाना पॉपिंग मशीन संरक्षित खेती	3.65/इकाई	1.00/इकाई	
(क)	ग्रीन हाउस फैन पैड के साथ	0.01465/वर्गमी०	0.007325/वर्गमी०	500 से 1008 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए। प्रति लाभुक अधिकतम 4000 वर्ग मी० की अधिसीमा अनुमान्य
(ख)	पॉली हाउस का निर्माण	0.00935/वर्गमी०	0.004675/वर्गमी०	500 से 1008 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए। प्रति लाभुक अधिकतम 4000 वर्ग मी० की अधिसीमा अनुमान्य
(ग)	शेड नेट हाउस का निर्माण	0.00710/वर्गमी०	0.00355/वर्गमी०	प्रति लाभुक अधिकतम 4000 वर्ग मी० की अधिसीमा अनुमान्य
(घ)	वॉक इन टनेल	0.00600/वर्गमी०	0.00300/वर्गमी०	प्रति लाभुक अधिकतम 4000 वर्ग मी० की अधिसीमा अनुमान्य
18	प्लास्टिक मल्टिप्लिंग (मल्टि फिल्म)	0.32/हे०	0.16/हे०	अधिकतम 2.0 हे० प्रति लाभुक

क्र० सं०	घटक का नाम	अनुमानित इकाई लागत (लाख रुपये में)	प्रति इकाई देय अनुदान (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
19	छोटे तालाब का निर्माण (20मी. x 20मी. x 3मी.)	1.50 / इकाई	0.75 / इकाई	
20	मधुमक्खी बक्सा एवं छत्ता	0.04 / इकाई	0.02 / इकाई	प्रति लाभुक अधिकतम 50 मधुमक्खी बक्सा एवं छत्ता की अधिसीमा अनुमान्य
21	कम लागत का प्याज भंडारण इकाई	1.75 / इकाई	0.875 / इकाई	
22	गैर वानिकी क्षेत्र में बाँस का क्षेत्र विस्तार	0.30 / हे०	0.15 / हे०	अधिकतम 4.0 हे० प्रति लाभुक (अनुदान तीन किस्तों, 50:25:25 के अनुपात में देय)
23	संकर टमाटर की खेती	0.50 / हे०	0.20 / हे०	रोहतास एवं लखीसराय जिला हेतु। अधिकतम 2.0 हे० प्रति लाभुक
24	संकर सब्जी की जैविक खेती	0.50 / हे०	0.20 / हे०	कैमूर जिला हेतु। अधिकतम 2.0 हे० प्रति लाभुक
25	परवल की खेती	0.30 / हे०	0.15 / हे०	अरवल जिला हेतु। अधिकतम 2.0 हे० प्रति लाभुक
26	बागों में खाली जमीन में अन्तर्वर्ती फसल की खेती			
(क)	हल्दी	0.63 / हे० / बगीचा	0.21 / हे० / बगीचा	
(ख)	अदरक	1.65 / हे० / बगीचा	0.55 / हे० / बगीचा	
(ग)	ओल	2.70 / हे० / बगीचा	0.90 / हे० / बगीचा	
27	प्लास्टिक क्रेट्स	0.00333 / इकाई	0.00300 / इकाई	
28	लेनो बैग	0.00010 / इकाई	0.00009 / इकाई	

- उपरोक्त घटक का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक कृषक बन्धु विहित प्रपत्र में अपना आवेदन विहित प्राप्ति रसीद लेकर अपने जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 31.07.2014 तक जमा कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ कृषक बन्धु को अपना पहचान पत्र एवं जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/ अद्यतन रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। यदि लाभुक कृषक के परिवार के अन्य सदस्य के नाम जमीन के कागजात हैं तो ऐसी परिस्थिति में लाभुक कृषकों को अंचल कार्यालय से निर्गत वंशावली आवेदन के साथ समर्पित करना होगा।
- जो कृषक वित्तीय वर्ष 2014-15 में अपना अभ्यावेदन समर्पित कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।
- जिला उद्यान पदाधिकारी कृषकों से प्राप्त आवेदन का घटकवार पंजी संधारित करेंगे एवं "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धांत पर कृषकों को लाभ दिया जायेगा। वह प्रत्येक आवेदन का तिथि एवं समय युक्त प्राप्ति रसीद निर्गत करेंगे।

नोट :- इच्छुक किसान एवं उद्यमी अपने जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी से सम्पर्क कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी www.horticulture.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

राज्य बागवानी मिशन, दूसरा तल्ला, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800001, बिहार
फोन/फैक्स : 0612-2521776